

कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि हरिकिशन एवं हरीराम दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा पिंडिया तहसील जायल के सम्वत् 2073-2076 खतौनी सं. 354 के खसरा नम्बर 643/530 में दर्ज खातेदार नाम हरीराम पुत्र वींजाराम के स्थान पर वास्तविक नाम हरिकिशन पुत्र वींजाराम दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

- :: आदेश :: -

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे मौजा पिंडिया तहसील जायल के सम्वत् 2073-2076 खतौनी सं. 354 के खसरा नम्बर 643/530 में दर्ज खातेदार नाम हरीराम पुत्र वींजाराम के स्थान पर हरिकिशन पुत्र वींजाराम दुरुस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 28/08/24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।



(अभिलक्षण)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर, जायल